कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–2
दूरभाष : 0542–2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi
Tel. No. :0542- 2222689

पत्रांक : कु0स0–2B स0अ0 / 33762 / 02–834–2025 / 2026

दिनांक: 18 मार्च, 2026

सेवा में,

प्रबन्धक,
महादेव महेन्द्र महाविद्यालय,
फेसुड़ा, सैयदराजा,
चंदौली।

विषय : महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषय व वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूच्य है कि विश्वविद्यालय पत्रांक– कु0स0–2 B स0अ0 / 6134 / 02–834–2024 / 2024 दिनांक 05 जुलाई, 2024 द्वारा उपर्युक्त विषयों / पाठ्यक्रम में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) परन्तुक के अधीन दी गयी सम्बद्धता की अनुमति के आलोक में आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 11.03.2026 के साथ इंगित कमियों यथा **संदर्भित विषय का मानकानुसार परीक्षाफल का प्रमाण** के साथ सम्बद्धता मानक पूर्ण करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक–27.05.2025 के बिन्दु संख्या–25 में लिये गये निर्णय के आलोक में सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक–02.07.2024 में जनपद–चंदौली के क्रमांक–05 पर अंकित **महादेव महेन्द्र महाविद्यालय, फेसुड़ा, सैयदराजा, चंदौली** में **कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र** तथा **विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषय** व **वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम** में अधोलिखित शर्तो के अधीन दिनांक– 01.07.2024 से सम्बद्धता **(स्थायी)** की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद / शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा जिंसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
2. महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किये जाने, मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने एवं अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
3. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा–37(6), 37(7) तथा 37(8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:–

37(6) :–कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

37(7) :–कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

37(8) :–कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धो के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

.....2

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष –0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

पत्रांक :कु0स0–2B स0अ0/2998०/02–844–2024/2024 दिनांक :07 फरवरी, 2024

सेवा में,

प्रबन्धक,
महादेव महेन्द्र महाविद्यालय,
फेसुड़ा, सकलडीहा,
सैयदराजा, चन्दौली।

विषय : **प्रबंध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 07.11.2023 के आलोक में सूच्य है कि प्रबन्धतंत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर विचारोपरान्त माननीय कुलपति जी ने दिनांक **24.09.2023** को गठित महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–2 (13) के अंतर्गत महाविद्यालय की नवीन प्रशासन योजना को अनुमोदित करते हुए प्रबंध समिति अनुमोदित किया है जो अधोलिखित प्रकार है :–

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पद
1.	श्री रामबली राम	श्री निर्गुन राम	अध्यक्ष
2.	श्री अजय प्रताप सिंह	स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह	प्रबन्धक
3.	श्री अश्वनी कुमार सिंह	श्री गनेश प्रसाद सिंह	कोषाध्यक्ष
4.	श्री भैयालाल	श्री खदारू राम	सदस्य
5.	श्रीमती माया त्रिपाठी	पत्नी श्री धनेश त्रिपाठी	सदस्य

उपरोक्त नवगठित प्रबंध समिति का कार्यकाल गठन की तिथि दिनांक **24.09.2023 से पाँच वर्ष** होगा जिसमें प्राचार्य पदेन सदस्य होंगे तथा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से परिनियमों में अधिकथित प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

भवदीय

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. वै0स0, कुलपति – मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-2
दूरभाष -0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

पत्रांक-कु0स0-2B स0अ0 / 19961 / 02-684-2021 / 2022 दिनांक : सितम्बर, 2022
10.10.22

सेवा में,

प्रबन्धक,
महादेव महेन्द्र महाविद्यालय,
फेसुड़ा सकलडीहा, सैयदराजा,
चन्दौली।

विषय : महाविद्यालय मे स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित विषयों एवं वाणिज्य संकाय में बी0काम0 पाठ्यक्रम की कक्षा संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 02.09.2022 के सन्दर्भ में सूच्य है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक-कु0स0-2B स0अ0 / 4304 / 02-684-2021 / 2021 दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा उपरोक्त विषय / पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की गयी है जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक-कु0स0-2B स0अ0 / 19128 / 02-684-2021 / 2022 दिनांक 05.03.2022 द्वारा कक्षा संचालन हेतु नामित निरीक्षण मण्डल की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अर्न्तत **शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र** विषयों में **(प्रत्येक विषय में 60 सीट अर्थात 420 सीट)** तथा विज्ञान संकाय में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित** विषयों में **(प्रत्येक विषय में 60 सीट अर्थात 300 सीट)** एवं वाणिज्य संकाय में **बी0काम0 पाठ्यक्रम में (240 सीटों)** की प्रवेश क्षमता सहित अस्थायी सम्बद्धता की तिथि से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. **वै0स0, कुलपति** – माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. **परीक्षा नियंत्रक, म0 गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।**

कुलसचिव

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2B स0अ0/4078 /02–603–2020/2021 दिनांक : 15 फरवरी, 2021

सेवा में,

प्रबंधक,
प्रस्तावित महादेव महेन्द्र महाविद्यालय,
फेसुड़ा, सकलडीहा, सैयदराजा,
चन्दौली।

विषयः नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की स्थापना हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 11.01.2020 के संदर्भ में सूच्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानो को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यकमों के प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्रांक–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 15.02.2021 की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार प्रस्तावित महादेव महेन्द्र महाविद्यालय, फेसुड़ा, सकलडीहा, सैयदराजा, चन्दौली को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों तथा वाणिज्य संकाय में बी0काम0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रकिया प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त पाठ्यकम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग सम्बद्धता सम्बन्धी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
2. उक्त विषय/पाठ्यकम विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश सं0 3075/सत्तर–2–2002–2 (166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेश में विनिर्दिष्ट मानको के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. संस्था भविष्य में भूमि भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न हीं उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की होगी।
5. उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी लायबिलिटी (उत्तरदायित्व) से राज्य सरकार/विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।

.....2